

विश्वभारती
शांतिनिकेतन

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि उपाचार्य महोदय ने विश्वविद्यालय के सभी पेंशनभोगी एवं परिवार पेंशन के साथ उनके विवाहिती को भी 'पेंशन एवं परिवार पेंशन हेतु सामाजिक कल्याण उपाय' के रूप में पीयर्सन स्मारक अस्पताल, विश्वभारती की ओर से निम्नलिखित चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाएं। इसके अलावा बिना किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के विद्यमान चिकित्सा सुविधा भी दिए जाएं।

पी.एम. अस्पताल के चिकित्सा सुविधाएं

1. अंतः चिकित्सा उपचार के साथ अन्य सुविधाएं।
2. सभी प्रकार के शारीरिक, विकिरण चिकित्सा एवं रोगात्मक जाँच।
3. स्थायी कर्मचारी की तरह अस्पताल गाड़ी सेवा।
4. पी. एम. अस्पताल से दवाएं।

इसे तत्काल प्रभाव से लागू करें।

नं. आरईजी/ओ.ओ./89/663

दिनांक : 02.11.2018

हस्ता/-

कुलसचिव (कार्यकारी)

विश्वभारती

प्रतिलिपि :

1. सभी निदेशक/भवनों के प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष, विश्वभारती
2. वित्त अधिकारी, विश्वभारती
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पी.एम. अस्पताल, विश्वभारती
4. सभी संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, विश्वभारती
5. उप कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
6. सहा. कुलसचिव (बैठक) - कर्मी समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।
7. श्री सिसिर कुमार दत्त, सचिव, विश्वभारती पेंशनभोगी संगठन
8. कुलसचिव के निजी सहायक
9. विश्वविद्यालय वेबमास्टर- विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड करने करें।